न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/47

घांसी लाल आत्मज श्री परमानन्द जाति माली निवासी ग्राम चडिन्दा तहसील लाडपुरा कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा ।
2. गणेश आत्मज श्री परमानन्द जाति माली निवासी ग्राम चडिन्दा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओमप्रकाश नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से ।
3. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92 ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में हाल खसरा नम्बर 916 रकबा 1.10 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में छीत्या व प्रतिवादी कम 2 के नाम संभाग से दर्ज है । प्रतिवादी कम 2 वादी का सगा भाई है । उक्त भूमि के हाल सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 455 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा थे । उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी कम 2 को वर्ष 2010 के रिकॉर्ड से लेकर वर्तमान रिकॉर्ड में नबालिग जरिये वली बहिन आनन्दी बाई को आलेखित कर रखा है कारण कि वादी एवं प्रतिवादी कम 2 के पिता परमानन्द जी का जब वादी एवं प्रतिवादी कम 2 नाबालिग थे उसी समय स्वर्गवास हो गया और स्वर्गवास के बाद उनकी बहिन आनन्दीबाई ही समझदार होने से रिकॉर्ड में दोनों भाईयों (वादी एवं प्रतिवादी कम 2) को जरिये वली बहिन आनन्दीबाई दर्ज किया जो आज भी चला आ रहा है। वादी का सभी सरकारी कागजों में नाम घांसीलाल आत्मज श्री परमानन्द जी दर्ज है । राशन

कार्ड, परिचयपत्र, आधार कार्ड, स्थानान्तर प्रमाण पत्र आदि सभी में घांसीलाल लिखा हुआ है । वादी को सभी घांसी लाल के नाम से ही जानते पहचानते हैं किन्तु उक्त वर्णित आराजी में छीत्या लिखा हुआ है । उक्त नाम को दुरूस्त करवाने व नाबालिग से बालिग करवाने हेतु लगभग 30–35 वर्षो से वादी व प्रतिवादी कम 2 राजस्व कर्मचारियों के यहॉ पर प्रशासनिक शिविरों में अर्जी लगतो रहे किन्तु आज तक वादी का नाम दुरूस्त नहीं किया ।

3. अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 डिक्री फरमाया जावे कि वादी का नाम छीत्या के स्थान पर घांसी लाल दर्ज किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी कम 2 को नाबालिग से बालिग घोषित किये जाने की डिक्री पारित की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2016 को वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.12.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर निवेदन किया कि घांसीलाल ही छीत्या है । बचपन में नाम छीत्या था और बाद में घांसी लाल के नाम से जाना पहचाना जाने लगा जिसका किसी के द्वारा विरोध नहीं करने व खण्डन नहीं करने के बाद भी कानूनी नजीरों का अध्ययन किये बिना ही तनकीवाइज आदेश पारित नहीं करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि घांसी लाल का बोलता नाम छीत्या था । घांसीलाल और प्रतिवादी कम 2 दोनों ही परमानन्द के पुत्र हैं और दोनों की उम्र 70 वर्ष के लगभग है परन्तु रिकॉर्ड में नाबालिग दर्ज हैं । प्रतिवादी ने जवाबदावे में दावा वादी डिक्री करने की स्वीकृति दी है । वादी अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थ में मौखिक साक्ष्य पेश की फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दी है । पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि घांसी लाल एवं छीत्या एक ही व्यक्ति के नाम हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 2 के लायक अधिवक्ता ने अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात में फोटो प्रति निर्वाचन पहचान पत्र प्रदर्श– 1, फोटो प्रति आधार कार्ड प्रदर्श– 2, फोटो प्रति राशन कार्ड प्रदर्श– 3, रा0 उ0 मा0 वि0 कैथून जिला कोटा के द्वारा जारी टी0सी0 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 4, लीगल नोटिस प्रदर्श– 5, नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 खाता संख्या पुराना 37 एवं नया 38 जिसमें खातेदार के नाम हैं गणेश, छीत्या पिता परमानन्द ना0 बा0 वली मु0 आनन्दी वाल्दा खुद माली सा0 चडिन्दा अंकित है । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 प्रदर्श– 7, नकल खतौनी बन्दोबस्त भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 8, नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 9, नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 10, नकल जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031 प्रदर्श– 11, नकल जमाबन्दी संवत् 2010 से 2013 प्रदर्श– 12 पेश किये हैं ।

11. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि कुछ भी दस्तावेज प्रमाणित प्रति नहीं हैं फिर भी उनको प्रदर्श किया गया है । साक्ष्य में शपथ पत्र घांसी लाल पेश किया गया है परन्तु घांसी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है और न ही पेश किये गये दस्तावेज को प्रदर्श करवाया है जो कानूनी रूप से आवश्यक है ।

12. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि उनका नाम घांसी लाल है और उनका राजस्व रिकॉर्ड में बोलता नाम छीत्या दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त किया जावे । वादी एवं प्रतिवादी कम 2 दोनों ही बालिग हो चुके हैं । अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाबालिग को हटाया जावे । पत्रावली में एक जमाबन्दी की फोटो प्रति सवंत् 2071 से 2074 नया खाता संख्या 23 संलग्न है जिसमें खातेदार में घांसीलाल पिसरान परमानन्द जाति माली दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 की फोटो प्रति संलग्न है जिसमें नया खाता संख्या 22 खातेदार गणेश, घांसी, छोट्या पि0 परमा हिस्सा 1/6 दर्ज है । यद्यपि ये दोनों दस्तावेज न तो प्रमाणित प्रतियॉ हैं और न ही प्रदर्श कराये गये हैं । प्रदर्श– 1, 2, 3, 6 भी प्रमाणित प्रतियॉ नहीं हैं फिर भी उन्हें प्रदर्श किया गया है ।

13. वदी ने हाल खसरा नम्बर 916 रकबा 1.10 हैक्टर आराजी के बाबत् दावा पेश किया है और यह अंकित किया है कि सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 455 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था । पत्रावली में अन्य खाते की फोटो प्रति भी पेश की गई है जिसमें नया खाता संख्या 22 अंकित है जिसमें कुल 17 किता की 3.92 हैक्टर आराजी में गणेश, घांसी, छोट्या पि0 परमा हिस्सा 1/6 के सहखातेदार दर्ज हैं । वादी ने अपने वाद में यह स्पष्ट नहीं किया है कि छोट्या जो इस जमाबन्दी में सहखातेदार दर्ज है वो जीवित है अथवा नहीं और जब इस खाते में छोट्या का नाम भी अंकित है तो वादग्रस्त आराजी में गणेश, छीत्या ही दर्ज हैं जिसमें छोट्या का नाम किन परिस्थितियों में दर्ज नहीं हुआ । इसमें जो छीत्या नाम दर्ज किया गया है वह घांसी ही है । इस प्रकार पेश किये गये दस्तावेज पूर्ण नहीं हैं और न ही सीपीसी की पालना करते हुए वादी के द्वारा न्यायालय में बयान कराए हैं और न ही दस्तावेजात को प्रदर्श करवाया गया है । इस कारण प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर यह जॉच किया जाना आवश्यक समझते हैं कि वादी घांसी लाल का नाम ही छीत्या है इसके उपरान्त ही इस प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार/ग्राम पंचायत से यह जॉच करवाई जावे की वादी घांसी का नाम ही छीत्या है अथवा नहीं ? इसके उपरान्त नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 31.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा